निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1934 (श0)

(सं0 पटना 256) पटना, वृहस्पतिवार, 14 जून 2012

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

3 अप्रील 2012

सं0 निग/सारा–10–आरोप–म0नि0–07/10–3834 (एस)—श्री गंगा शरण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल गया, सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पुनर्गठन कोषांग, पटना के विरुद्ध भवन प्रमंडल, गया के पदस्थापन काल में बोध गया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 100 शय्या वाले छात्रावास निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4573 (भ0) दिनांक 12.06.08 द्वारा निलंबित करते हुए का0आ0सं0–221–सह–पठित ज्ञापांक–6780 दिनांक 14.08.08 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–810 (नि0) अनु0 दिनांक 22.12.08 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मात्र आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना जबकि शेष 14 आरोपों को प्रमाणित नहीं माना। परन्तु, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालन पदाधिकारी के मत से असहमत होते हुए पत्रांक 8550(भ0) अनु0 दिनांक 06.10.09 द्वारा असहमति के बिन्दु को चिन्हित कर आरोप संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 एवं 15 के लिए श्री शरण से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री शरण द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक 09.10.09 के समीक्षोपरांत आरोप को प्रमाणित पाने एवं वित्तीय क्षति का मामला मानते हुए जो वृहद दंड की कोटि का प्रतीत होने के आलोक में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक–232 (भ0) अनु0 दिनांक 13.01.10 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से की गयी। इस बीच भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 7969 (भ0) दिनांक 12.10.10 द्वारा श्री शरण को निलंबन मुक्त किया गया।

2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित मामले की विस्तृत तकनीकी समीक्षा की गयी एवं भवन निर्माण विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शरण को प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने, अनियमित भुगतान करने, तकनीकी स्वीकृति के बिना राशि का भुगतान करने, मापी की जाँच नहीं करने एवं कार्यों का पर्यवेक्षण सही रूप में नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए दोषी मानते हुए अधिसूचना संख्या 9414 (एस) दिनांक 19.08.11 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(क) इन्हें कार्यपालक अभियंता के कालमान वेतन पर पदावनत किया जाता है।

3. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री शरण द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 23516/2011 दायर की गयी। माननीय न्यायालय ने अपने पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किये गये द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक–8550 (भ0) अनु0 दिनांक 06.10.09 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत

दंडादेश अधिसूचना संख्या 9414 (एस) दिनांक 19.08.11 को निरस्त करते हुए संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद से नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए नये सिरे से इस मामले में तीन माह के अन्दर निर्णय लेने जाने का निदेश प्रशासी प्राधिकार को दिया।

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समीक्षोपरांत निम्न निर्णय लिया जाता है :–

(क) श्री शरण के विरुद्ध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के उपरांत पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक 8550 (भ0) दिनांक 06.10.09 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दंडादेश अधिसूचना संख्या 9414 (एस) दिनांक 19.08.11 को निरस्त किया जाता है।

(ख) श्री शरण के विरुद्ध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के उपरांत से नियमानुकूल नये सिरे से ससमय अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 256-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in